

विचार बिन्दु

हिंसा के मुकाबले में लाचारी का भाव आना अहिंसा नहीं कायरता है। अहिंसा को कायरता के साथ नहीं मिलाना चाहिए। —महात्मा गांधी

वोट देने का अधिकार और फ्रीबीज

अ

धिकार कई तरह के होते हैं। इन्हें हम चार श्रेणियों में ले सकते हैं। (1) मूल अधिकार (2) संविधानिक अधिकार (3) कानून प्रदत्त अधिकार (4) प्राकृतिक अधिकार। मूल अधिकार वे हैं, जिन्हें संविधान के भाग 3 में लिखा गया है। संविधान ने हमें, हम लोगों ने हम लोगों के लिये राजनीतिक न्याय, सामिलित न्याय व अर्थिक न्याय देने का व्यवस्था की है। मूल अधिकार राजनीतिक न्याय का अधिकार है। अनुच्छेद 14 के द्वारा स्थान का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 15 वर्ष मूलवाला, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिवेदन किया गया है। अनुच्छेद 19 में वाक स्वानंत्रय का संरक्षण दिया है। अनुच्छेद 21 में गरिमामय जीवन का अधिकार है। अनुच्छेद 21 व 21 के शिक्षा का मूल अधिकार है। कोई भी अप्रिय निर्णय लेने से पहले सुनाई कर्मन का निर्णय प्राकृतिक न्याय है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 के लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत मूल अधिकार है। संविधान के अनुच्छेद 326 में यह व्यवस्था है कि लोकसभा और राज्य की विधानसभा के लिये निर्वाचन वयस्क माध्यमिकार के आधार पर है। प्रारम्भ में 21 वर्ष के भारतीय को मतदान का अधिकार है (वोट देने का अधिकार है)। प्रत्येक वर्ष 21 वर्ष का है उसे मतदान का अधिकार का प्रयोग करने और चुनावी प्रक्रिया में भागीदारी बनने का अवसर दिया गया है।

भारत के संविधान की विशेषता है कि यहां मतदान के लिये स्त्री व पुरुष में कोई भेद नहीं है। भारत में महिलाओं को इंगेलैड व अन्य यूरोपियन देशों से पहले मतदान का अधिकार दिया गया है।

वोट देने के अधिकार की लाप्ती लडाई लड़नी पड़ी है। भारत सरकार अधिनियम 1919 में प्रतीती परिवर्तों को यह निर्धारित करने की अनुमति दी गई कि वे निर्णय करें कि क्या महिलायें मतदान कर सकती हैं? यह शर्त रखी गई कि मतदान का अधिकार उन्हें उस समय मिले जब उनके पास सम्पत्ति हो, पहिली लिखी ही और उनकी आय का साधान हो। 1919 से 1929 तक कई राज्यों में महिलाओं को वोट का अधिकार था। 1920 में लालावाड़ के राज्य में वोट का अधिकार था यह मान गया था कि मनु स्मृति के अनुसार महिला पहिली लिखी नहीं हो सकती थी। बाद में सोच में परिवर्तन आया और महिला को वोट देने के द्वेष 8 वार्षिक प्राप्ति का अवसर दिया गया। 1935 से 1947 तक इस सोच पर चर्चा होती रही। संविधान निर्माण सभा ने बाबा साहब अब्देकर की अपील पर सभी शर्तें समाप्त की और 21 वर्ष की आयु होने पर महिलाओं को माध्यमिकार दिया गया जो वर्तमान में 18 वर्ष हो गया है। दुर्घाट्य की बात है कि मतदान हेतु शिक्षा की कोई भी शर्त पुरुष व स्त्री प्रत्येक भारतीय को मतदान का अधिकार है (वोट देने का अधिकार है)। प्रत्येक वर्ष 21 वर्ष का है उसे मतदान का अधिकार का प्रयोग करने और चुनावी प्रक्रिया में भागीदारी बनने का अवसर दिया गया है।

देश को अपने संविधान पर गर्व है। संविधान में भाग 4 के जोड़ा जाकर 1976 में संविधान (बायलीसीवा संस्थान) अधिनियम, 1976 से भारतीयों के लिये मूल कर्तव्य निर्धारित किये गये थे। भी चुक हो गए हैं कि जो नामिक अपने मूल कर्तव्यों की पालन नहीं करता पाया जाए, उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती। देश में कहीं न कहीं आदोलन होते रहते हैं और इन आदोलनों में रेलवे लाई व सड़क की तोड़फोड़ का अधिकार है, जबकि यह निर्धारित किया गया है। अनुच्छेद 5 (1) पर। यदि चुनाव कानून में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में यह शर्त रखा जाए तो जोड़ा जाना व रेलवे लाई व लोडों को लोडना व रेलवे लाई की व सार्वजनिक सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाना प्राप्त आवाया और जावेगा और इसे विद्यमान जाने पर व्यक्तिको चुनाव लाई से चंचित किया जावेगा तो जनता में निःसंदेश अनुशासन आयेगा और वर्तमान स्थिति में भारी परिवर्तन होगा। आज तो कोई भी घटना है और रोड लॉक कर दी जाती है और रेलों का आवायाम रोक दिया जाता है। वर्तमान रिक्ति को देखते हुये कानून में उचित संशोधन की आवश्यकता है। प्रथम तो विधायक व संसद संसद ने के द्वेष 8 वार्षिक प्राप्ति का अवसर दिया गया है। इसका परिणाम है कि हमारे कानून चुटिही नहीं बन पाते हैं।

देश को अपने संविधान पर गर्व है। संविधान में भाग 4 के जोड़ा जाकर 1976 में संविधान (बायलीसीवा संस्थान) अधिनियम, 1976 से भारतीयों के लिये मूल कर्तव्य निर्धारित किये गये थे। भी चुक हो गए हैं कि जो नामिक अपने मूल कर्तव्यों की पालन नहीं करता पाया जाए, उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती। देश में कहीं न कहीं आदोलन होते रहते हैं और इन आदोलनों में रेलवे लाई व सड़क की तोड़फोड़ का अधिकार है, जबकि यह निर्धारित किया गया है। अनुच्छेद 5 (1) पर। यदि चुनाव कानून में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में यह शर्त रखा जाए तो जोड़ा जाना व रेलवे लाई व लोडों को लोडना व रेलवे लाई की व सार्वजनिक सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाना प्राप्त आवाया और जावेगा और इसे विद्यमान जाने पर व्यक्तिको चुनाव लाई से चंचित किया जावेगा तो जनता में निःसंदेश अनुशासन आयेगा और वर्तमान स्थिति में भारी परिवर्तन होगा। आज तो कोई भी घटना है और रोड लॉक कर दी जाती है और रेलों का आवायाम रोक दिया जाता है। वर्तमान रिक्ति को देखते हुये कानून में उचित संशोधन की आवश्यकता है। प्रथम तो विधायक व संसद संसद ने के द्वेष 8 वार्षिक प्राप्ति का अवसर दिया गया है। इसका परिणाम है कि हमारे कानून चुटिही नहीं बन पाते हैं।

देश को अपने संविधान पर गर्व है। संविधान में भाग 4 के जोड़ा जाकर 1976 में संविधान (बायलीसीवा संस्थान) अधिनियम, 1976 से भारतीयों के लिये मूल कर्तव्य निर्धारित किये गये थे। भी चुक हो गए हैं कि जो नामिक अपने मूल कर्तव्यों की पालन नहीं करता पाया जाए, उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती। देश में कहीं न कहीं आदोलन होते रहते हैं और इन आदोलनों में रेलवे लाई व सड़क की तोड़फोड़ का अधिकार है, जबकि यह निर्धारित किया गया है। अनुच्छेद 5 (1) पर। यदि चुनाव कानून में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में यह शर्त रखा जाए तो जोड़ा जाना व रेलवे लाई व लोडों को लोडना व रेलवे लाई की व सार्वजनिक सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाना प्राप्त आवाया और जावेगा और इसे विद्यमान जाने पर व्यक्तिको चुनाव लाई से चंचित किया जावेगा तो जनता में निःसंदेश अनुशासन आयेगा और वर्तमान स्थिति में भारी परिवर्तन होगा। आज तो कोई भी घटना है और रोड लॉक कर दी जाती है और रेलों का आवायाम रोक दिया जाता है। वर्तमान रिक्ति को देखते हुये कानून में उचित संशोधन की आवश्यकता है। प्रथम तो विधायक व संसद संसद ने के द्वेष 8 वार्षिक प्राप्ति का अवसर दिया गया है। इसका परिणाम है कि हमारे कानून चुटिही नहीं बन पाते हैं।

देश को अपने संविधान पर गर्व है। संविधान में भाग 4 के जोड़ा जाकर 1976 में संविधान (बायलीसीवा संस्थान) अधिनियम, 1976 से भारतीयों के लिये मूल कर्तव्य निर्धारित किये गये थे। भी चुक हो गए हैं कि जो नामिक अपने मूल कर्तव्यों की पालन नहीं करता पाया जाए, उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती। देश में कहीं न कहीं आदोलन होते रहते हैं और इन आदोलनों में रेलवे लाई व सड़क की तोड़फोड़ का अधिकार है, जबकि यह निर्धारित किया गया है। अनुच्छेद 5 (1) पर। यदि चुनाव कानून में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में यह शर्त रखा जाए तो जोड़ा जाना व रेलवे लाई व लोडों को लोडना व रेलवे लाई की व सार्वजनिक सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाना प्राप्त आवाया और जावेगा और इसे विद्यमान जाने पर व्यक्तिको चुनाव लाई से चंचित किया जावेगा तो जनता में निःसंदेश अनुशासन आयेगा और वर्तमान स्थिति में भारी परिवर्तन होगा। आज तो कोई भी घटना है और रोड लॉक कर दी जाती है और रेलों का आवायाम रोक दिया जाता है। वर्तमान रिक्ति को देखते हुये कानून में उचित संशोधन की आवश्यकता है। प्रथम तो विधायक व संसद संसद ने के द्वेष 8 वार्षिक प्राप्ति का अवसर दिया गया है। इसका परिणाम है कि हमारे कानून चुटिही नहीं बन पाते हैं।

देश को अपने संविधान पर गर्व है। संविधान में भाग 4 के जोड़ा जाकर 1976 में संविधान (बायलीसीवा संस्थान) अधिनियम, 1976 से भारतीयों के लिये मूल कर्तव्य निर्धारित किये गये थे। भी चुक हो गए हैं कि जो नामिक अपने मूल कर्तव्यों की पालन नहीं करता पाया जाए, उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती। देश में कहीं न कहीं आदोलन होते रहते हैं और इन आदोलनों में रेलवे लाई व सड़क की तोड़फोड़ का अधिकार है, जबकि यह निर्धारित किया गया है। अनुच्छेद 5 (1) पर। यदि चुनाव कानून में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में यह शर्त रखा जाए तो जोड़ा जाना व रेलवे लाई व लोडों को लोडना व रेलवे लाई की व सार्वजनिक सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाना प्राप्त आवाया और जावेगा और इसे विद्यमान जाने पर व्यक्तिको चुनाव लाई से चंचित किया जावेगा तो जनता में निःसंदेश अनुशासन आयेगा और वर्तमान स्थिति में भारी परिवर्तन होगा। आज तो कोई भी घटना है और रोड लॉक कर दी जाती है और रेलों का आवायाम रोक दिया जाता है। वर्तमान रिक्ति को देखते हुये कानून में उचित संशोधन की आवश्यकता है। प्रथम तो विधायक व संसद संसद ने के द्वेष 8 वार्षिक प्राप्ति का अवसर दिया गया है। इसका परिणाम है कि हमारे कानून चुटिही नहीं बन पाते हैं।

20 टन एलपीजी से भरा टैकर पलटा, बड़ा हादसा टला

कोलू पाबूजी टोल प्लाजा पर पलटा टैकर, चालक घायल

जोधपुर, (कासं)। फलोदी जिले के कोलू पाबूजी टोल प्लाजा पर गुरुवार सुबह बड़ा हादसा टला गया। गुरुवार से बीकानेर जा रहा था तो सेप्टेम्बर में आपके पास एलपीजी गैस टैकर के पास किसी ने पुलिस को तकलीफ दी थी। हादसे में घायल टैकर ड्राइवर को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे में टोल प्लाजा के दो केबिन शक्तिग्रस्त हो गए।

लोहावट थाना प्रभारी अमर सिंह ने बताया कि सुबह नौ बजे कोलू टोल प्लाजा से भरा टैकर पटट गया था। उस टैकर के पास पहुंचे और बीकानेर सेप्टेम्बर वाहनों के अनुसार टैकर में करीब 20 टन एलपीजी गैस थी।

घटना की सच्चाना मिलते ही पुलिस, देवू एसडीएम और तहसीलदार भीके पर पहुंचे और सुरक्षा को लिए अवश्यक कदम उठाए। इस दौरान वहाँ से आने जाने वाले वाहनों को पहले ही रोक दिया। फायर बिगड़ भी मौके पर पहुंची।

घटना की दृष्टि से रास्ते को डायवर्ट कर

- प्रशासन की मुस्तेदी से बड़ा हादसा टला, जोधपुर और बीकानेर से टीमें पहुंची

दिया गया है। हादसे में टोल के दो केबिन शक्तिग्रस्त हो गए।

लोहावट थाना प्रभारी अमर सिंह ने बताया कि सुबह नौ बजे कोलू टोल प्लाजा से भरा टैकर पटट गया था। उस टैकर के पास पहुंचे और बीकानेर सेप्टेम्बर वाहनों के अनुसार टैकर में करीब 20 टन एलपीजी गैस थी।

खाली रखा गया है। गनीमत है कि गैस को नहीं जाने दिया जा रहा है। गैस रिसाव नहीं हुआ। इसके बाद भी जांच के लिए जोधपुर और बीकानेर साथानारेवा गैस टैकर के पास किसी में टीमें मौके पर पहुंची हैं।

केमिकल से भरे टैकर और ट्रक में भिड़त

नापासर, (निसं)। थाना क्षेत्र में देर रात भारतमाला सड़क पर लिल्चू सीमा के पास एक केमिकल से भरे टैकर और एक ट्रक की भिड़त हो गई। भिड़त से दोनों गाड़ियों में आग लग गई। ट्रक के केमिकल के बालक भौंके से फरार हो गया। जबकि ट्रक का कारण आग तेजी से फैलने लगी। इसकी सच्चाना मिलने पर नापासर थानाधिकारी लक्षण सुधार, सैंप्रयाण थानाधिकारी वर्षामांज और देशनोक थोने का स्टाफ पवन शर्मा और देशनोक थोने का स्टाफ भी घटनास्थल पर पहुंच गया। तीन थोनों की पुलिस नेयातायत बहाल किया। इसके बाद ग्रामीणों को सहायता से आग पर

उदयपुर:- खान विभाग के निदेशक दीपक तंबर ने गुरुवार को पदभार ग्रहण किया। इस मौके पर कर्मचारी समन्वय समिति के अध्यक्ष ललित पानेरी द्वारा निदेशक तंबर का स्वागत किया गया। इस दौरान खान विभाग के कर्मचारी सत्यनारायण शर्मा, दीनेश कुमारवत, विशाल माथुर, गणपत सिंह, देवेन्द्र राजपूत आदि उपस्थित रहे।



उदयपुर:- खान विभाग के निदेशक दीपक तंबर ने गुरुवार को पदभार ग्रहण किया। इस मौके पर कर्मचारी समन्वय समिति के अध्यक्ष ललित पानेरी द्वारा निदेशक तंबर का स्वागत किया गया। इस दौरान खान विभाग के कर्मचारी सत्यनारायण शर्मा, दीनेश कुमारवत, विशाल माथुर, गणपत सिंह, देवेन्द्र राजपूत आदि उपस्थित रहे।

परकोटे में खुले में मीट बेचने पर 12 दुकानों को सीज किया है।

इस संबंध में हैरिटेज निगम पशु चिकित्सा अधिकारी योगी शाखा ने बताया कि महापौर कुसुम यादव के निर्देश पर कुसुम यादव के चालाने पर योगी शाखा ने बताया कि महापौर कुसुम यादव के नेतृत्व में गुरुवार को मीट की दुकानों पर आक्रमिक निरीक्षण किया गया। जिसमें भट्टा बरसी, नाहरी का नाका,

- महापौर कुसुम यादव के निर्देश पर किया गया दुकानों का औचक निरीक्षण
- कटवा नगर में अवैध डेयरी से 33 गौवंश पकड़कर हिंगोनिया गौशाला पहुंचाया

शास्त्री नगर में 12 दुकानों पर लाइसेंस नहीं पाया गया। इन दुकानों पर खुले में भी मांस काटा और बेचा जा रहा था। ऐसे में शाखा टीम ने सतकंता शाखा के सहयोग से 12 दुकानों को सीज कर करीब 100

किलो मांस को जब्त कर नष्ट करा दिया और 44 हजार रुपए का जुर्माना भी बर्सूल किया गया।

वर्षा पशु प्रबंधन शाखा ने कटवा नगर स्थित अवैध डेयरी पर बंधी गांवों भी भी मुक्त करा

पहले गांवों में छिल्ले दस साल का

लाइसेंस नहीं पाया गया। इन दुकानों पर खुले में भी मांस काटा और बेचा जा रहा था। ऐसे में शाखा टीम ने सतकंता शाखा के सहयोग से 12 दुकानों को सीज कर करीब 100

किलो मांस को जब्त कर नष्ट करा दिया और 44 हजार रुपए का जुर्माना भी बर्सूल किया गया।

जुर्माने को भारतीय चौपड़ पर सड़क पर विचरण कर रही 14 गौवंशों को हिंगोनिया गौ पुनर्वास केंद्र पहुंचा दिया।

नापासर हास्पिटल के डॉ. इमरान ने बताया कि डंपर ड्राइवर तुलशाराम

पहले गांवों में छिल्ले दस साल का

लाइसेंस नहीं पाया गया। इन दुकानों पर खुले में भी मांस काटा और बेचा जा रहा था। ऐसे में शाखा टीम ने सतकंता शाखा के सहयोग से 12 दुकानों को सीज कर करीब 100

किलो मांस को जब्त कर नष्ट करा दिया और 44 हजार रुपए का जुर्माना भी बर्सूल किया गया।

जुर्माने को भारतीय चौपड़ पर सड़क पर विचरण कर रही 14 गौवंशों को हिंगोनिया गौ पुनर्वास केंद्र पहुंचा दिया।

नापासर हास्पिटल के डॉ. इमरान ने बताया कि डंपर ड्राइवर तुलशाराम

पहले गांवों में छिल्ले दस साल का

लाइसेंस नहीं पाया गया। इन दुकानों पर खुले में भी मांस काटा और बेचा जा रहा था। ऐसे में शाखा टीम ने सतकंता शाखा के सहयोग से 12 दुकानों को सीज कर करीब 100

किलो मांस को जब्त कर नष्ट करा दिया और 44 हजार रुपए का जुर्माना भी बर्सूल किया गया।

जुर्माने को भारतीय चौपड़ पर सड़क पर विचरण कर रही 14 गौवंशों को हिंगोनिया गौ पुनर्वास केंद्र पहुंचा दिया।

नापासर हास्पिटल के डॉ. इमरान ने बताया कि डंपर ड्राइवर तुलशाराम

पहले गांवों में छिल्ले दस साल का

लाइसेंस नहीं पाया गया। इन दुकानों पर खुले में भी मांस काटा और बेचा जा रहा था। ऐसे में शाखा टीम ने सतकंता शाखा के सहयोग से 12 दुकानों को सीज कर करीब 100

किलो मांस को जब्त कर नष्ट करा दिया और 44 हजार रुपए का जुर्माना भी बर्सूल किया गया।

जुर्माने को भारतीय चौपड़ पर सड़क पर विचरण कर रही 14 गौवंशों को हिंगोनिया गौ पुनर्वास केंद्र पहुंचा दिया।

नापासर हास्पिटल के डॉ. इमरान ने बताया कि डंपर ड्राइवर तुलशाराम

पहले गांवों में छिल्ले दस साल का

लाइसेंस नहीं पाया गया। इन दुकानों पर खुले में भी मांस काटा और बेचा जा रहा था। ऐसे में शाखा टीम ने सतकंता शाखा के सहयोग से 12 दुकानों को सीज कर करीब 100

किलो मांस को जब्त कर नष्ट करा दिया और 44 हजार रुपए का जुर्माना भी बर्सूल किया गया।

जुर्माने को भारतीय चौपड़ पर सड़क पर विचरण कर रही 14 गौवंशों को हिंगोनिया गौ पुनर्वास केंद्र पहुंचा दिया।

नापासर हास्पिटल के डॉ. इमरान ने बताया कि डंपर ड्राइवर तुलशाराम

पहले गांवों में छिल्ले दस साल का

लाइसेंस नहीं पाया गया। इन दुकानों पर खुले में भी मांस काटा और बेचा जा रहा था। ऐसे में शाखा टीम ने सतकंता शाखा के सहयोग से 12 दुकानों को सीज कर करीब 100

किलो मांस को जब्त कर नष्ट करा दिया और 44 हजार रुपए का जुर्माना भी बर्सूल किया गया।

जुर्माने को भारतीय चौपड़ पर सड़क पर विचरण कर रही 14 गौवंशों को हिंगोनिया गौ पुनर्वास केंद्र पहुंचा दिया।

नापासर हास्पिटल के डॉ. इमरान ने बताया कि डंपर ड्राइवर तुलशाराम

पहले गांवों में छिल्ले दस साल का

लाइसेंस नहीं पाया गया। इन दुकानों पर खुले में भी मांस काटा और बेचा जा रहा था। ऐसे में शाखा टीम ने सतकंता शाखा के सहयोग से 12 दुकानों को सीज कर करीब 100

किलो मांस को जब्त कर नष्ट करा दिया और 44 हजार रुपए का जुर्माना भी बर्सूल किया गया।

जुर्माने को भारतीय चौपड़ पर सड़क पर विचर

